# आज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| पेशी | श्री ... श्री ... | |

श्रीमती नूरी बनाम श्रीमती कमली वगैरह(239/2021)

29/11/21 बाजदायरी प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित। बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि उक्त पेशी पर बरवक्त आवाज प्रार्थीया के अधिवक्ता हाल में चल रहे प्रशासन गांव के संग अभियान क तहत् कैम्प जशवन्तपुरा तहसील पीसांगन में बहस में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नही हो सकें तथा जब न्यायालय में उपस्थित हुए तो उन्हे बताया गया कि उक्त प्रकरण अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया गया। उपरोक्त कारण से प्रार्थीया की अधिवक्ता की न्यायालय में बरवक्त आराज अनुपस्थिति सद्भाविक थी चूंकि प्रार्थीया के अधिवक्ता प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि उसे न्यायालय में हर पेशी पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है एवं वे स्वयं प्रार्थीया की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करते रहेगें। इसी आश्वासनवश प्रार्थीया भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेको सिद्धान्तों में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित न कर पक्षकारों के हक व अधिकारो का विधि सम्मत निर्धारण हेतु गुणावगुण पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनांक 27.10.2021 को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील वास्ते बहस हेतु नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। जो विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि यदि न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे तो भारी कोस्ट पर स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित मेंप्रार्थना पत्र को 200/-दो सौ रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

**अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को 200/-(दो सौ रूपये) कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर